अध्याय VII
निगरानी एवं शिकायत निवारण

अध्याय –VII

निगरानी एवं शिकायत निवारण

7.1 राज्य सलाहकार परिषद का गठन

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 34 विनिर्दिष्ट करती है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। राज्य सलाहकार परिषद के कार्य अधिनियम के उपबंधो के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना होगा। एम.पी.आर.टी.ई. नियम का नियम 20, एक अध्यक्ष, एक सहअध्यक्ष और 12 सदस्यों सहित परिषद के गठन को प्रावधानित करता है। कोरम के लिए आवश्यक न्यूनतम आठ सदस्यों सहित परिषद की त्रैमासिक बैठक होनी थी।

राज्य सलाहकार परिषद की बैठक नियमित अंतराल पर नहीं हुई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन, (फरवरी 2012) मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एवं मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग, सहअध्यक्ष के रूप में 13 अन्य सदस्यों सहित, दो साल के लिए हुआ था। तथापि, नामांकित सदस्य, उनका कार्यकाल जनवरी 2014 मे समाप्त होने के पश्चात भी नियुक्त नहीं किए गए थे। हमने पाया कि दस सदस्य मार्च 2015 में अर्थात एक वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात नामांकित किए गए थे।

चार वर्षों के दौरान आवश्यक 16 बैठकों के विरूद्ध मात्र पॉच बैठकें आयोजित हुईं थी। 2012–13 से 2015–16 के दौरान आयोजित हुई वर्षवार बैठकें **तालिका 7.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 7.1: वर्षवार आयोजित हुईं बैठकों का विवरण

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित हुईं बैठकों की संख्या	कमी
2012–13	4	3	1
2013–14	4	0	4
2014–15	4	0	4
2015–16	4	2	2
योग	16	5	11

(स्रोत : राज्य शिक्षा केन्द्र के अभिलेख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सलाहकार परिषद की 2012–13 में आयोजित तीन बैठकों में न्यूनतम आठ सदस्यों के कोरम की पूर्ति नहीं हुई थी। आगे, परिषद द्वारा दी गई सलाह पर, की गई कार्यवाही के बारे में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मामले को भविष्य में अनुपालन करने के लिये टीप किया गया।

7.2 विद्यालय प्रबंधन समिति

आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) विनिर्दिष्ट करती है कि गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, माता–पिता या संरक्षक और शिक्षकों के

निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) का गठन करेगा। एस.एम.सी. में कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता–पिता अथवा संरक्षक होंगे। एस.एम.सी. कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि विद्यालयों के कार्यप्रणाली को मानिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानिटर करना आदि।

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम का नियम 12 यह विनिर्दिष्ट करता है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 18 सदस्यों की विद्यालय प्रबंधन समिति तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए 16 सदस्यों की विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, इस समिति का सदस्य होगा तथा समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाएगा। आगे, सितंबर 2011 तक प्रत्येक विद्यालय में एस.एम.सी. का गठन किया जाना था और इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष में इसका पुर्नगठन किया जाना था।

माता–पिता की आवश्यक संख्या के बिना विद्यालय प्रबंधन समिति संचालित हो रही थी।

नमूना जांच किए गए विद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि सभी शासकीय विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया गया था। जबकि, 103 प्राथमिक विद्यालयों और 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस.एम.सी. में आवश्यक सदस्यों की संख्या नहीं थी और प्राथमिक विद्यालयों में एस.एम.सी. सदस्यों की संख्या आठ से 17 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 से 15 के मध्य थी। इसके अलावा, 87 विद्यालयों की एस.एम.सी. में माता–पिता/संरक्षकों की आवश्यक अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 65 विद्यालयों में, एम.एस.सी. में निर्वाचित सदस्य दो से कम थे। आगे, नमूना जांच किए गए 87 अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्र के विद्यालयों में से 43 में एस.एम.सी. का गठन नहीं हुआ था।

7.2.1 एस.एम.सी. सदस्यों का प्रशिक्षण

आर.एस.के. ने एस.एम.सी. सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चार एस.एम.सी. सदस्यों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु निर्देश (दिसंबर 2013)जारी किए थे। चिन्हित प्रशिक्षण केंद्रों पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा क्लस्टर स्तर पर दो चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु जन शिक्षा केन्द्र का प्रभारी जिम्मेदार था। आर.एस.के. ने एक और निर्देश जारी किया (जनवरी 2016) जिसमें प्रत्येक एस.एम.सी. के छह सदस्यों, अध्यक्ष और सचिव सहित को, दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाना था। डी.पी.सी. द्वारा आर.एस.के. को प्रशिक्षण की समेकित रिपोर्ट भेजनी थी।

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत एस.एम.सी. के सदस्य अपनी भूमिका से अवगत नहीं थे, जिसने एस.एम.सी. बनाने के उददेश्य को खतरे में डाला।

आर.एस.के. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 11.36 लाख एस..एम.सी. सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य में 2013–16 के दौरान 15,865 एस.एम.सी. सदस्य प्रशिक्षित नहीं किए जा सके थे। तथापि, आर.एस.के. द्वारा प्रदाय किए गये आंकड़े सही नहीं थे। नमूना जांच किए गए जिलों में, 2.09 लाख एस.एम.सी. सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के विरूद्ध 2013–16 के दौरान 1.80 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों में 28,208 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी थी।

माता–पिता के सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 80 माता–पिता जो एम.एस.सी. के सदस्य थे, परंतु आर.टी.ई. अधिनियम के बारे में अवगत नहीं थे। इस प्रकार, कुछ माता–पिता विद्यालयों के प्रबंधन में उनकी भूमिकाओं के बारे में ज्ञान नहीं होने पर भी एस.एम.सी. के सदस्य थे, जिसने एस.एम.सी. बनाने के उद्देश्य को खतरे में डाला।

7.2.2 एस.एम.सी. की कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी परिलक्षित हुआ कि एस.एम.सी. विद्यालयों में उपस्थिति की निगरानी नहीं कर रही थी। परिणामस्वरूप, एस.एम.सी. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयीन स्तर पर बच्चों के अत्यधिक ड्रापआउट को रोकने में विफल रही। नमूना जांच किए गए 245 विद्यालयों में पिछले पांच सालों में एस.एम.सी. की बैठकों में कमी थी।

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 22(1) और एम.पी. आर.टी.ई. नियमों के नियम 13 के अंतर्गत एस.एम.सी. ने 277 शासकीय एवं अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार नहीं की थी। आगे, एस.एम.सी., विद्यालयों को प्रदान कि गई निधियों के समय पर उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि विद्यालयों में एस.एम.सी. के गठन एवं विद्यालय विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। कक्षावार माता–पिता उपलब्ध न होने के कारण समिति में माता–पिता की संख्या में कमी थी। व्यक्तिगत समस्याओं के कारण एस.एम.सी. सदस्य प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे, जिन्हें अगले साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

तथ्य यह है कि, आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रत्येक विद्यालयों में एस.एम.सी. का गठन विभाग सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, डी.पी.सी., एस.एम.सी. में माता–पिता के आवश्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को प्रेरित करने में विफल रहे।

7.3 माता–पिता की भूमिका

आर.टी.ई अधिनियम की धारा 10 प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता–पिता/संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराएं। स्कूल प्रबंधन समिति का भी यह कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करें।

विभाग आर.टी.ई. अधिनियम और प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालकों के अधिकार के बारे में माता–पिता के बीच जागरूकता फैलाने में असफल रहा।

भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51–क को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संशोधित किया एवं निम्न खण्ड (ट) जोड़ा:

''यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करें।''

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 1,007 माता–पिता पर किए गए हितग्राही सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ कि 62 प्रतिशत माता–पिता आर.टी.ई. अधिनियम से अवगत नहीं थे। इस प्रकार, विभाग/एस.एम.सी. आर.टी.ई. अधिनियम और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बालकों के अधिकार के बारे में माता–पिता के बीच जागरूकता फैलाने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि आर.टी.ई. के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में माता–पिता के बीच जागरूकता बढाने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

7.4 प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम 2(छ) विनिर्दिष्ट करता है कि जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी है। नियम 11(9) के प्रावधान के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, जहां पर विद्यालय संचालित है, के स्थानीय प्राधिकारी को मान्यता प्रदान करने की सूचना देने हेतु जिम्मेदार है,

नमूना जांच किए गए जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.ई.ओ. द्वारा मान्यता की सूचना स्थानीय प्राधिकारी को नहीं भेजी गई थी। आगे, आर.टी.ई. के अंतर्गत आवश्यक निजी क्षेत्र के विद्यालयों में बालकों की प्रवेश प्रक्रिया और निजी विद्यालयों की फीस संरचना की निगरानी डी.ई.ओ. नहीं कर रहे थे, जिसकी पूर्व पैराग्राफ 6.2.1 और 6.2.2 में चर्चा की गई है।

मध्य प्रदेश में, 89 आदिवासी विकास खण्ड हैं। इन आदिवासी विकास खण्डों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी आदिवासी कल्याण विभाग की थी। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.) एवं विकास खण्ड स्तर पर 74 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का इन आदिवासी विकास खण्डों में शिक्षकों और विद्यालयों के प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण था।

इस प्रकार, डी.ई.ओ. की भूमिका, जो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में थे, आदिवासी विकास खण्डों में सीमित थी और मुख्य रूप से निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु सीमित थी। तथापि, आदिवासी विकास खण्डों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में ए.सी.टी.डी. की भूमिका जो कि मुख्यतः इन क्षेत्रों में प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी थे, को एम.पी.आर.टी.ई. नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7.5 जन शिक्षक द्वारा विद्यालयों की निगरानी

एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अधीन जन शिक्षक संसाधन शिक्षक है जो स्कूल के समूह में शैक्षणिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। एक उच्च प्राथमिक विषय विशिष्ट शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए जन शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। आर.टी.ई. अधिनियम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिये जन शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वह विद्यालयों के लिये प्रारंभिक निगरानी प्राधिकारी होता है। वह अपने क्षेत्राधिकार में सभी बालकों के नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी है। जन शिक्षक को शाला से बाहर बच्चों की जानकारी के साथ विद्यालयों से सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित कर, जानकारियों का विश्लेषण करता है एवं उसको विकास खण्ड स्तर पर प्रस्तुत करता है।

जन शिक्षकों ने मान के अनुसार विद्यालयों में भ्रमण नहीं किया था एवं जन शिक्षक के 914 पद रिक्त थे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जन शिक्षा केंद्र (क्लस्टर) स्तर पर, प्रारम्भिक शिक्षा के निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियो को अनुदेश जारी किए थे (अक्टूबर 2010 तथा अगस्त 2012)। जन शिक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार के अंदर के सभी विद्यालयों का महीने में कम से कम दो बार भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया गया था। विद्यालय भ्रमण की रिपोर्ट बी.आर.सी.सी तथा जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को सौंपी जानी थी। जन शिक्षक द्वारा विद्यालय भ्रमण के परिणाम की समीक्षा करने के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, प्रत्येक माह, एक कार्यशाला आयोजित की जानी थी।

राज्य में, 5,320 जन शिक्षक के स्वीकृत पद के विरूद्ध 4,406 जन शिक्षक पदस्थ थें एवं 914 जन शिक्षक के पद रिक्त थे। नमूना जाँच किए गए विकासखण्डों में पर्यवेक्षित 5,157 विद्यालयों के 162 जन शिक्षकों से एकत्रित की गई जानकारी के विश्लेषण से निम्न प्रकार परिलक्षित हुआ :

- पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार 18 विद्यालयों पर एक जन शिक्षक होना चाहिये। परन्तु, 143 जन शिक्षकों के क्षेत्राधिकार में अनुमोदित मान से अधिक संख्या में विद्यालय थे एवं यह 19 से 50 विद्यालय के मध्य था।

- 35 जन शिक्षकों ने 50 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों का भ्रमण महीने में दो बार नहीं किया। आगे, दो भ्रमण के मान के विरूद्ध, 3,313 विद्यालयों का भ्रमण महीने में सिर्फ एक बार किया गया था।

- वर्ष 2010–16 के दौरान, 148 में से 35 जन शिक्षा केंद्रों में, 1,860 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के विरूद्व 1,562 बैठकें आयोजित की गईं थी। आगे, 63 जन शिक्षा केंद्रों में 576 विद्यालय के प्रतिनिधि मासिक कार्यशाला में उपस्थित नहीं हुए थे।

- इस प्रकार जन शिक्षकों के कमी के कारण निगरानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई। आगे, विषय विशिष्ट शिक्षक को जन शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करने की नीति की समीक्षा की आवश्यकता थी, क्योंकि राज्य में विषय विशिष्ट शिक्षकों की पहले से ही कमी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य में शिक्षकों की कमी थी तथा कुछ जन शिक्षा केंद्रों में जन शिक्षक के पद रिक्त थे जिसके कारण जन शिक्षक लक्ष्य से अधिक विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये जिलों में जन शिक्षकों द्वारा विद्यालयों के भ्रमण के लक्ष्य हासिल नहीं किये गये थे।

7.6 विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर विद्यालयों की निगरानी

स्कूल शिक्षा विभाग ने विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों तथा जन शिक्षा केंद्रों की निगरानी हेतु अनुदेश जारी किया था (अगस्त 2009 तथा सितम्बर 2012)। विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा जन शिक्षा केंद्रों को सम्मिलित करते हुए 30 विद्यालयों का मासिक भ्रमण करना था। इसी तरह जिला स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक माह 30 विद्यालयों का भ्रमण करना था। भ्रमण का विवरण शिक्षा पोर्टल पर दर्ज किया जाना था। निरीक्षण करने के मान नीचे **तालिका 7.2** में दिए गए हैं।

तालिका 7.2: विद्यालय के निरीक्षण के लिए मानदंड

स. क्र.	विभिन्न स्तर पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी	मासिक भ्रमण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या
1	विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा विकास खण्ड शैक्षणिक समन्वयक	प्रत्येक को कम से कम 30 विद्यालय (20 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय)
2	जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, डी.पी.सी., जेण्डर समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक	प्रत्येक को कम से कम 30 विद्यालय (20 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय)

(स्रोत : स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश)

आर.एस.के. के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि:

- वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए विद्यालयों की संख्या, 15,300 प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध 853 से 11,047 के मध्य थी। विकास खण्ड स्तर पर, बीईओ द्वारा 1,413 से 6,904 विद्यालयों का

जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हुई थी।

निरीक्षण किया गया। बी.आर.सी.सी द्वारा 88,800[1] विद्यालयों के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 32,267 से 52,936 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। बी.आर.सी. कार्यालयों ने 2.57 लाख[2] विद्यालयों के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 2.13 लाख से 2.63 लाख विद्यालयों का निरीक्षण किया।

- जिला स्तर पर सहायक परियोजना समन्वयक के 129 पद और विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक, विकासखण्ड शैक्षणिक समन्वयक, विकासखण्ड जेण्डर समन्वयक के 781 पद रिक्त थे। निरीक्षण कर्मियों के इन रिक्त पदों ने विद्यालयों के निरीक्षण को प्रभावित किया।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि निरीक्षण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिलों को अनुदेश जारी किए जाएंगे ।

7.7 आर.टी.ई अधिनियम का मूल्यांकन अध्ययन/प्रभावी आंकलन

राज्य में किए गए आर.टी.ई. अधिनियम से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन का विवरण **तालिका 7.3** में दिया गया है।

तालिका 7.3 – आर.टी.ई मुद्दों पर किए गए अध्ययन की स्थिति

स.क्र.	विषय	अध्ययन का वर्ष	संस्था / एजेंसी जिसके द्वारा सर्वे किया गया
1	शिक्षा का अधिकार, (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन तथा निदानात्मक सुझाव	2011–12	डाईट खण्डवा, खरगौन तथा बडवानी
2	आर.टी.ई. 2009 के परिप्रेक्ष्य में सीडब्ल्यूएसएन बालकों की पहचान करने में आने वाली समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन	2013–14	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, खण्डवा
3	आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रावधानों का विशेषकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चयनित मोहल्ला/क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बच्चों, कक्षा I से VIII में के प्रवेश व ठहराव पर प्रभाव	2013–14	प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान, भोपाल
4	आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित बच्चों एवं अन्य सामान्य वर्ग के साथ उनकी तुलना के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का विशेलेषणात्मक अध्ययन।	2014–15	प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान, भोपाल
5	आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अनुदान अप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अलाभित समूह तथा दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आरक्षण के प्रावधान का कार्यान्वयन	2015–16	यूनाईटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फण्ड, भोपाल

(स्रोतः आर.एस.के. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मूल्यांकन अध्ययन के संप्राप्तियॉं/सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आयुक्त, आर.एस.के ने बताया (जुलाई 2016) कि अनुशंसाओं को परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

[1] निरीक्षण के लक्ष्य = प्रति बी.आर.सी.सी. प्रति वर्ष 300 X 296 कार्यरत बी.आर.सी.सी.।

[2] निरीक्षण के लक्ष्य = प्रति बी.आर.सी. प्रति वर्ष 300 X 855 कार्यरत अमले।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अनुसंशाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7.8 शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग

भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 से कक्षा एक से आठ के विद्यालयों के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डाईस) का आरंभ किया, जिसमें विद्यालयों को एक 11 अंक का एकीकृत कोड आवंटित किया जाता है। यू–डाईस प्रारम्भिक स्तर पर छात्रों व शिक्षकों तथा अधोसंरचना से संबंधित महत्वपूर्ण मानदण्डों की जानकारी प्रदान करता है।

विद्यालयों के प्रभारी को यू–डाईस के प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। क्लस्टर रिसोर्स केंद्र पर जनशिक्षक अपने क्षेत्राधिकार के भीतर के विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप में भरे हुये यू–डाईस डाटा को एकत्रित करने हेतु उत्तरदायी थे। इन भरे हुए यू–डाईस के प्रारूप की सत्यता हेतु उनके द्वारा जांच की जानी थी। विकास खण्ड स्तर के प्राधिकारियों 10 प्रतिशत सत्यापन के लिए उत्तरदायी थे तथा प्रत्येक जिला स्तर के प्राधिकारी को पांच प्रारूपों की नमूना जांच की जानी थी। कम्प्यूटर में डाईस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां जिलें स्तर पर प्रोग्रामर तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड मैनेजमेण्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) समन्वयक के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में की जानी थी। यू–डाईस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां करने के बाद, स्कूल रिपोर्ट कार्ड की प्रिटेंड प्रतियाँ जनरेट की जाती हैं तथा विद्यालय को पुनः सत्यापन हेतु भेजी जाती है। सुधार के बाद डाईस प्रारूप यदि कोई हो, सॉफ्टवेयर में संशोधन के लिए, जिला कार्यालय को लौटाना होता है।

पी.ए.बी. ने बेहतर गुणवत्ता तथा यू–डाईस डाटा के विश्लेषण को सुनिश्चित करने के लिए विकासखण्ड एम.आई.एस. समन्वयक के रिक्त पदों को तत्काल भरने का सुझाव दिया था (मार्च 2012)। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 130 प्रोग्रामर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा विकासखण्ड एमआईएस समन्वयक के पद मार्च 2016 को रिक्त थे।

आगे, संवीक्षा में, नमूना जॉच किए गए जिलों में यू–डाईस डाटा में विसंगतियॉ परिलक्षित हुई। यू–डाईस में ''विद्यालय प्रबंधन'' फिल्ड में विद्यालयों को समुचित रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप छह जिलों में 52 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय यू–डाईस के अनुदान प्राप्त विद्यालयों की सूची में दिख नहीं रहें थे। इन स्कूलों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण अनुदान अप्राप्त विद्यालयों में किया गया था। डी.पी. सी ने बताया कि श्रेणी परिवर्तित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर यू–डाईस डाटा सही ढंग से प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

विद्यालयों के नमूना जांच के दौरान, लेखा परीक्षा ने यू–डाईस में दर्ज जानकारी तथा चयनित विद्यालयों की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाई। नामांकन, अध्यापक स्थिति तथा आधारभूत अधोसरंचना सुविधाओं की जानकारी में भिन्नता थी जिसे ***परिशिष्ट 7.1*** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, जिला स्तर पर प्रोग्रामर एवं विकास खण्ड स्तर पर एम. आई.एस. समन्वयक द्वारा यू–डाईस डाटा सही ढंग से प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण यू–डाईस डाटा संधारित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए थे। विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर तैनात एम.आई.एस. समन्वयक तथा प्रोग्रामर को त्रुटिहीन डाटा के संकलन तथा उसके उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, एम.आई.एस. समन्वयक तथा प्रोग्रामर के रिक्त पद नहीं भरे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के विभिन्न अनुदेशों के बावजूद यू–डाईस डाटा में विसंगतियां थीं। आगे, लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई त्रुटियों के सुधार हेतु की गयी कार्यवाही के बारे में, विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

7.9 शिक्षकों की शिकायत निवारण

एम.पी.आर.टी.ई का नियम 16 यह विनिर्दिष्ट करता है कि स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षकों की शिकायत दूर करने का प्रथम स्तर होगा। स्कूल के शिक्षक को नियंत्रण अधिकारी को शिकायत भेजनी चाहिए, जो शिकायत की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करेगा और तदनुसार शिक्षक को सूचित करेगा।

एम.पी.आर.टी.ई. नियम आगे विनिर्दिष्ट करता है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक सात सदस्यों की शिकायत निवारण समिति होगी। जिलाधीश, समिति का अध्यक्ष होगा और डी.ई.ओ. समिति का संयोजक होगा। समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। यदि कोई शिक्षक नियंत्रण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत लिखित में समिति के संयोजक को प्रस्तुत कर सकता है। संयोजक, समिति का निर्णय, निर्णय के एक महीने के भीतर, शिक्षक को बतायेगा।

नमूना जांच किए गए जिलों के डी.ई.ओ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियॉं गठित नहीं हुयी थी।

- नमूना जांच किए गए तेरह जिलों में से पाँच जिले धार, इंदौर, रतलाम, शहडोल एवं सिंगरौली में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति गठित की गई थी।
- जिला सिंगरौली के अतिरिक्त किसी भी जिले में शिक्षकों से शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। 2010–16 के दौरान, प्राप्त हुई 76 शिकायतों में से 14 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 62 प्रकरण लंबित थे। 62 लंबित प्रकरणों में से 55 प्रकरणं, वर्ष 2010–14 से और शेष 7 प्रकरण वर्ष 2014–16 से संबंधित थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि शिक्षकों एवं अन्य अमले के लिये शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। ई–शिक्षा मित्र अप्लीकेशन विकसित किया गया एवं शिक्षक अब अपनी शिकायतें व्हाटस्एप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने आगे बताया कि शिक्षकों के मुद्दों के निपटान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण कक्ष की व्यवस्था थी, इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एम.पी.आर.टी.ई नियमावली के अधीन आवश्यक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन नमूना जाँच किए गए आठ जिलों में नहीं हुआ था।

7.10 बालकों के अधिकारों का संरक्षण

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 31 के अनुसार राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, (एस.सी.पी.सी.आर.) आर.टी.ई. अधिनियम द्वारा या अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षा उपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करेगा एवं नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालकों के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करेगा।

मध्य प्रदेश राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि 2010–16 के दौरान प्राप्त 426 शिकायतों में से 128 शिकायतों का निपटान हुआ था।

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने सूचित किया (मार्च 2016) कि दिसंबर 2015 से अध्यक्ष / सदस्यों के रिक्त पदों के कारण शिकायतें लंबित थी ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों ने बालको के अधिकारों के संरक्षण हेतु शिकायत सेल गठन नहीं किये थे।

- अधिनियम की धारा 32 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा, जो कि तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत; एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को शिकायत सेल और सेल के प्रभारी की नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2011)। शिकायतों की एक पंजी संधारित की जानी थी और सेल की जानकारी स्थानीय समाचार पत्र में जन–सूचना के लिए विज्ञापित की जानी थी। नमूना जांच किये गये जिलों में यह पाया गया कि संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कार्यालय में शिकायत निवारण सेल की स्थापना करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये जिलों में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आर.टी.ई अधिनियम की धारा 32 के अधीन शिकायत निवारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

7.11 अनुशंसाऐं

- राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों की समय से नियुक्ति और परिषद की नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विभाग ने लेखापरीक्षा की अनुशंसा स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2016)।

- विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अपेक्षित सदस्य संख्या के साथ किया जाना चाहिए तथा बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को आर.टी.ई. अधिनियम में विहित अपने कार्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए तथा नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा सदस्यों को सशक्त करने की जरूरत है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधान एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्यों को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के माड्यूल में शामिल कर लिया गया था।

- स्कूल प्रबंधन समिति को आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार, बालकों के अधिकार के बारे में माता–पिता के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए।
- विद्यालय निरीक्षण व विद्यालय भ्रमण के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धियां सुनिश्चित करने हेतु, विभाग को, जिला व विकासखण्ड स्तर पर, रिक्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के पदों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- आर.टी.ई. अधिनियम के बिंदुओ पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में बताई गई अनुसंशाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

- यू–डाईस डाटा के गुणात्मक तथा प्रभावी संधारण को सुनिश्चित करने हेतु जिले स्तर पर प्रोग्रामर तथा एम.आई.एस. समन्वयक के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।
- विसंगतियों से बचने के लिऐ विभाग को यू–डाईस डाटा के विश्लेषण एवं सत्यापन की दृढ़ प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यू–डाईस डाटा बेस में विद्यालयों के डाटा की सही प्रविष्टि करने के लिए उचित स्तर पर जिम्मेदारियां निर्धारित की जानी चाहिए।
- जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जिले स्तर पर शिकायत निवारण सेल को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा था।

- बालकों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की समय से नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके थे।